राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक–प. 3 (991) वादकरण / प्र–4 / 2014 / जयपुर दिनांकः 21-1-14

1. समस्त जिला मजिस्ट्रेट
2. समस्त लोक अभियोजक / अपर लोक अभियोजक / विशिष्ठ लोक अभियोजक

परिपत्र

विषयः– आपराधिक मामलों के विचारण के दौरान राज्य की ओर से अभियोजन का प्रभावी व समुचित पक्ष प्रस्तुत किये जाने बाबत।

अनेक मामलों में ये देखने में आया है कि आपराधिक प्रकरणों की पैरवी के दौरान राज्य पक्ष की ओर से आवश्यक गवाह एवं दस्तावेजात न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये जाते है जिससे राज्य पक्ष विपरीत रूप से प्रभावित होता है। अतः विचारण न्यायालय में राज्य पक्ष प्रस्तुत करने के समय निम्न महत्वपूर्ण निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे–

1. अभियोजन एवं बचाव पक्ष के समस्त गवाहों के बयानों की पठनीय प्रतियां अभिलेख में संलग्न भिजवाई जावे।
2. अभियोजन स्वीकृति, एफ.एस.एल. रिपोर्ट, 164 सी.आर.पी.सी. के बयानों मेडिकल रिपोर्ट आदि की पठनीय प्रतियां अभिलेख के साथ भिजवाई जावे
3. अनेक मामलों में परिवादी / अभियोक्त्री के पक्षद्रोही हो जाने के बाद भी अनुसंधान सम्बंधी गवाह, चिकित्सकीय साक्ष्य एवं अन्य गवाह की साक्ष्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरणों मे महत्वपूर्ण साक्ष्य होती है। अतः कुछ गवाहों के पक्षद्रोही हो जाने के पश्चात भी शेष गवाह को तर्क करने का निर्णय पूरी सतर्कता के साथ एवं मामले के तथ्यों को देखते हुए आवश्यक होने पर ही लिया जावे। तथा इस हेतु कारण अंकित करते हुए न्यायालय में आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया जावे।
4. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य का अभाव हो वहां अनुसंधान सम्बंधी गवाह, चिकित्सकीय साक्ष्य आदि के बयान आवश्यक रूप से कराये जावें।
5. जहां तक सम्भव हो अभियोक्त्री / पीडिता का बयान तथा जिरह एक ही सेशन में पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जावे।
6. मोबाईल की काल डिटेल को साबित किये जाने के मामले में मोबाईल काल डिटेल की प्रति न्यायालय में प्रदर्शित कराई जाकर आवश्यकता होने पर सम्बंधित विशेषज्ञ के बयान कराये जावें।
7. यदि किसी मामले में अभियोजन स्वीकृति न्यायालय में प्रस्तुत की जानी हो तो यह अभियोजन स्वीकृति यथा शीघ्र प्राप्त कर न्यायालय में पेश की जावे।

8. एफ.एस.एल. की जांच के लिए यदि कोई सामग्री/दस्तावेज भेजे जावे तो उस मामले में आवश्यक रूप से एफ.एस.एल. की रिपोर्ट प्राप्त कर न्यायालय में प्रदर्शित कराई जावे।
9. अभिलेख के साथ समस्त प्रदर्शित दस्तावेजों की प्रतियां प्रदर्श अंकित करते हुए आवश्यक रूप से संलग्न कर भिजवाई जावे।
10. अभिलेख के साथ समस्त साक्षियों की सूची की प्रमाणित प्रति आवश्यक रूप से भेजी जावे।
11. अभिलेख के साथ अभियुक्त द्वारा धारा 313 सी.आर.पी.सी. के तहत लिये गये बयान की प्रति आवश्यक रूप से भिजवाई जावे।
12. निर्णय के तत्काल पश्चात निर्णय/आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करके अभिलेख समयावधि गुजरने के पूर्व ही सम्बंधित अधिकारी को भिजवाया जावे जिससे कि आगे अपील/नो अपील का निर्णय अपील की समयावधि के भीतर ही लिया जा सके।
13. यदि प्रकरण से सम्बधित अन्य अभियुक्तों का पूर्व में निर्णय हो गया हो तो उस पूर्व निर्णय की प्रति एवं उस निर्णय पर लिये गये अपील/नो अपील के निर्णय का स्पष्ट उल्लेख करते हुए अभिलेख भिजवाया जावे।
14. खाद्य अपमिश्रण, पी.सी.पी.एन.डी.टी., औषधि नियंत्रण अधिनियम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो आदि से सम्बंधित जो मामले परिवाद पर संस्थित किये गये हों, उसे सम्बंधित प्रशासनिक विभाग के माध्यम से उक्त विभाग की अनुशंषा सहित विधि विभाग में अपील/नो अपील के निर्णय हेतु भिजवाया जावें।
15. यदि किसी मामले में अपील दायर करने का निर्णय लिया गया है तो अपील की समयावधि गुजर जाने की स्थिति में सम्बंधित अधिकारी के माध्यम से तत्काल विलम्ब को क्षमा कराने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कराया जावे।

21.11.14

(दीपक माहेश्वरी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है–

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य /वन/खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक अभियोजन/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप विधि परारमर्शी जयपुर/जोधपुर/सम्बंधित विधि अधिकारीगण, विधि वादकरण विभाग/विधि प्रकाष्ठ–4 विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
शासन सचिव विधि

शासन सचिव विधि